न्यायालय न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी — मनीषा सिंह,
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

क्लेम याचिका सं. — 85/2021
सी.आई.एस. नम्बर — 85/2021

महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री पुखराज मीना, उम्र— 28 वर्ष, निवासी धडांगा, पोस्ट दलपुरा, थाना नादोती, जिला करौली, राजस्थान।(स्वंय)

.... प्रार्थी

बनाम

1— सुनील कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव, उम्र— 45 वर्ष, निवासी मकान नम्बर—5, लवकुश नगर, प्रथम टोंक फाटक, थाना ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।
(वाहन स्वामी पिकअप जीप संख्या आरजे—14 जीसी 8181)

2— मनोज वर्मा पुत्र श्री सीताराम वर्मा, उम्र— 32 वर्ष, निवासी— प्लाट नम्बर—44, शिव कॉलोनी, सुशीलपुरा, सोडाला, जयपुर, राजस्थान।
(वाहन स्वामी पिकअप जीप संख्या आरजे—14 जीसी 8181)

3— युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय—4, टीचर्स कॉलोनी, बाबा मार्केट मैन अजमेर रोड़, डी.सी.एस., जयपुर, राजस्थान 302024
पॉलिसी संख्या 1413043117पी116582052 वैधता 18.02.2018 से 17.02.2019

.........विपक्षीगण/अप्रार्थीगण

<u>याचिका अन्तर्गत धारा—166 मोटर वाहन अधि0 1988</u>

<u>उपस्थित:—</u>

1— श्री जे.पी. असवाल, वि. अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2— अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3— मो.शकील अहमद, वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.3 की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक: 26.05.2026**

1— प्रार्थी/याची महेन्द्र कुमार मीना की ओर से उक्त क्लेम याचिका मोटर वाहन अधिनियम की धारा—166 के तहत प्रस्तुत कर दुर्घटना में स्वयं के चोटें आना बताते हुए मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

2— क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी दिनांक 12.10.2018 को समय करीब 2.30—3.00 पीएम के मध्य टेम्पू नंबर आरजे—20 जीबी 4783 को स्वंय चलाकर बगरू जा रहा था तथा टैम्पू में एक

अन्य जीवन संभल ट्रस्ट का सेवाकर्मी मनीष दायमा भी साथ में था, जब वे ठिकरीया कट बगरू के पास पहुँचे तो एक पिकअप वाहन नं. आरजे–14 जीसी 8181 के चालक ने तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टैम्पू को अचानक ओवरटेक कर कट मारकर आगे आ गया तथा अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे टैम्पू उक्त पिकअप में लग गया, दुर्घटना के कारण प्रार्थी के हाथ में फ्रेक्चर हो गया तथा साधारण व संघातक चोटें आई, उसको एम्बुलेंस से ईलाज हेतु एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुँचाया। ईलाज में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी ने रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 436 / 2018 पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर में दर्ज हुई। वक्त दुर्घटना वह जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट के तहत अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कार्य बगरू, फुलेरा, सांभर, सप्लाई हेतु गाडी ड्राईविंग और वेन मेन्टीनेस का कार्य कर 16,500 / –रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रार्थी पर है। दुर्घटना में प्रार्थी के बायें हाथ में फ्रेक्चर हो गया तथा शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई, जिससे प्रार्थी को दैनिक कार्य व जीविकोपार्जन में स्थायी निःशक्तता हो गई। दुर्घटना में आई चोटों के कारण प्रार्थी को आर्थिक नुकसान व मानसिक पीड़ा कारित हुई। वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.2 उक्त वाहन का चालक, अप्रार्थी सं.1 वाहन स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था तथा उक्त वाहन की अप्रार्थी / विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी है। इसलिये प्रार्थी, विपक्षीगण / अप्रार्थीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

3– अप्रार्थीगण / विपक्षीगण सं.1 व 2 की ओर से बावजूद सम्यक तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर आदेश दिनांक 29.11.2024 द्वारा अप्रार्थीगण / विपक्षीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4– अप्रार्थी / विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी ने जवाब पेश कर वर्णित किया कि दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 20 दिन बाद पुलिस, वाहन स्वामी से मिलीभगत कर बीमित वाहन नं. आरजे 14 जीसी 8181 को झूंठा लिप्त कर दर्ज कराई। उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित

नहीं हुई। वक्त दुर्घटना बीमित वाहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था तथा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का वैध एवं प्रभावी परमिट फिटनेस नहीं होने के कारण बीमा पॉलिसी की शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। दुर्घटना वाहन सं. आरजे 20 जीबी 4783 के चालक प्रार्थी द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर बीमित वाहन के पीछे से घुस जाने के कारण कारित हुई जिसके लिये स्वंय प्रार्थी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति राशि बढा चढाकर अंकित की है। प्रश्नगत दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त किया गया है। बीमाधारक द्वारा बीमा कम्पनी को दुर्घटना की नियमानुसार कोई सूचना नहीं देकर, दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराकर, बीमा शर्तो का उल्लघंन किया है। प्रार्थी, अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी की क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी खारिज की जावे।

5– पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया प्रश्नगत वाहन नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक विपक्षी संख्या–1 के द्वारा दिनांक 12.10.2018 को समय करीब 2.30–3.00 पी.एम. स्थान– ठिकरिया कट, बगरू के पास, पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर, राज. पर उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की व उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप महेन्द्र कुमार मीना के चोटें आयी ?
2. आया तब उक्त विपक्षी सं.–1 वाहन चालक होकर, विपक्षी सं.2 वाहन पंजीकृत स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था ?
3. आया विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा अपने लिखित कथन की आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव ?
4. आया दावेदार अपने दावे/दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते है, यदि हॉ तो दावेदार कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार पा सकते है।
5. अनुतोष ।

6– प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.–1 महेन्द्र कुमार मीना स्वंय प्रार्थी/आहत परीक्षित हुआ तथा अपने कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 लगायत

प्रदर्श—17 तक दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

7— बहस अन्तिम सुनी गई। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस पेश की गई।दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अपनी याचिका व विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब याचिका में अंकित तथ्यों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया गया।

8— हमने उपरोक्त तथ्यों, तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। विवाद्यकवार निर्णय निम्न प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या एक व दो</u>

9— उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए0 आई0 आर0 2011 (सुप्रीम कोर्ट)1504 परमेश्वरी बनाम अमीरचंद के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा—166 मोटर वाहन अधि0 के मामलों में फौजदारी मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है बल्कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है, उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रकरण पर विचार किया गया।

10— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में तर्क रहा कि पत्रावली पर पेश हुई साक्ष्य से अप्रार्थी/विपक्षी सं.—2 द्वारा वाहन बीमित वाहन नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना, जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटें आना साबित होता है, पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान प्रस्तुत दस्तावेजात से अप्रार्थी/विपक्षी सं.—2 की तेजी व लापरवाही से तथाकथित दुर्घटना कारित होना स्पष्ट है, वक्त दुर्घटना अप्रार्थी/विपक्षी सं.—2 वाहन चालक होकर अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 वाहन स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ—लाभार्थ वाहन को चला रहा था। अतः उक्त विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाये।

11— वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी का लिखित बहस में बहस के दौरान तर्क रहा कि दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 की प्रथम सूचना

रिपोर्ट दिनांक 01.11.2018 को 20 दिन बाद बीमित वाहन को झूंठा लिप्त कर दर्ज कराई। मामलें में सही तथ्यों को छुपाते हुए बीमित वाहन चालक के विरूद्ध चालान पेश किया, किन्तु मात्र आरोपपत्र पेश किये जाने से किसी दुर्घटना का निष्कृषित सबूत नहीं माना जा सकता। स्वंय प्रार्थी ने बीमित वहन चालक की उपेक्षा व लापरवाही के तथ्य को अस्वीकार किया है। दुर्घटना के संबंध में कोई स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं हुआ। धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पेश याचिका में चालक की उपेक्षा एवं असावधानी के तथ्यों को साबित करने का भार प्रार्थी/याचिकाकर्ता पर होता है, प्रकरण में याचिकाकर्ता बीमित वाहन चालक की उपेक्षा एवं असावधानी को साबित करने में असफल रहा है। प्रदर्श–3 में प्रार्थी ने एमएलसी कराने से साफ इंकार किया है। प्रदर्श–4 दस्तावेज 22 दिन बाद बनाया गया है, दुर्घटना में प्रार्थी के किसी प्रकार की चोटें आई हो यह भी साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा याचिका झूंठे गवाहन, दस्तावेजों और पुलिस से मिलीभगत कर क्लेम लेने के आशय से मनगढण्त तथ्यों के आधार पर पेश की है, अतः प्रार्थी की याचिका विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी सं.3 खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त– माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा बद्रीगुर्जर बनाम बनवारी लाल मीना व अन्य दिनांक 28 सितम्बर 2018 को पारित निर्णय, 2007(4)टीएसी 77 (राज.)यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. बनाम पवन टिक्कीवाल व अन्य, 2015 सुप्रीम (ऑनलाईन) (एससी)10668 सितारा एन.एस. व अन्य बनाम साई राम जनरल इंश्योरेंस कं. लि., 2014 आरएआर 345 (राज.)ज्योति देवी व अन्य बनाम अमर दीप व अन्य,2004 आरएआर 543 (राज0) मालाराम बनाम रूपाराम व अन्य, 2012 (2) एसीटीसी (राज.) 986 मिठुलाल बनाम भगत सिंह व अन्य2015(1) आएआर 453 (राज.) नर्बदा देवी व अन्य बनाम शैतानराम व अन्य पेश किये।

12– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में स्वंय प्रार्थी/आहत ए.डब्ल्यु–1 महेन्द्र कुमार मीना ने साक्ष्य में दिनांक 12.10.2018 को मैसर्स जीवन संबल चेरिटेबल ट्रस्ट कोटा के अन्य कर्मचारी मनीष दायमा के साथ भोजन सप्लाई हेतु टेम्पों से बगरू जाना, दिन के करीब ढाई–तीन बजे ठिकरिया कट बगरू के पास पहुॅचने पर एक पिकअप वाहन सं आरजे 14 जीसी 8181 के

चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनके टेम्पों को अचानक ओवरटेक कर कट मारकर आगे आकर अचानक ब्रेक लगा देने, से टेम्पो की उक्त पिकअप से टक्कर लग जाना बतलाया। जिससे उसके साथ बैठे मनीष दायमा का गम्भीर रूप से घायल होना तथा उसके बायें हाथ में फ्रेक्चर होना अभिकथित किया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा उनको एसएमएस अस्पताल पहुॅचा जहॉ दौराने ईलाज मनीष की मृत्यु होना तथा ईलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट देरी से दर्ज कराना जाहिर किया। दुर्घटना पिकअप नंबर आरजे 14 जीसी 8181 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूवर्क चलाकर उनके गाडी के कट मारते हुए आगे लाने से घटित होना बताया। समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 हस्तलिखित एफआईआर, प्रदर्श–2 चार्जशीट, प्रदर्श–3 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श–4 एमएलआर महेन्द्र, प्रदर्श– 5 नक्शा मौका, प्रदर्श–6 फर्द निरीक्षण टेम्पू, प्रदर्श–7 फर्द जब्ती पिकअप, प्रदर्श–8 नोटिस धारा 133 एमवीएक्ट, प्रदर्श–9 नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट, प्रदर्श–10 फर्द जब्ती कागजात पिकअप, प्रदर्श–11 मैकेनिकल मुआयना पिकअप, प्रदर्श–12 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श–13 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–14 बीमा, प्रदर्श–15 आरसी, प्रदर्श–16 डीएल, प्रदर्श–17 रोजनामचा रपट पेश कर प्रदर्शित कराये। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस वालें मौके पर आये थे उनको उसने घटना के बारे में बता दिया था, जो प्रदर्श–17 है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसका वाहन जिस वाहन से टकराया था उसके पीछे के हिस्से से जाकर टकराया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने ईलाज के संबंध में दुर्घटना दिवस का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।

13– हमने उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया तथा पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मामलें में दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1 स्वंय प्रार्थी/आहत ने दिनांक 01.11.2018 को दर्ज कराई, जिसमें देरी का कारण ईलाज में व्यस्त होना बताया। जिस रिपोर्ट पर पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर में प्रदर्श–13 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.436/2018 दर्ज हुई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा वाहन

पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक विपक्षी सं.2 मनोज वर्मा द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना तथा जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी/आहत के चोटें आना प्रमाणित मानकर प्रदर्श–2 आरोपपत्र धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. व धारा 134/187 व 3/181 एमवीएक्ट के अपराध में पेश किया। दुर्घटना के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज नक्शा मौका प्रदर्श–5 में मार्क–एक्स स्थान पर दुर्घटना घटित होना दर्शाया है। प्रदर्श–6 फर्द निरीक्षण टेम्पू नं आरजे 20 जीबी–4783 व आरोपित वाहन पिकअप नंबर आरजे 14 जीसी 8181 की फर्द जब्ती प्रदर्श–7 व मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–11 में वर्णित तथ्यों से दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि होती है। इसके अलावा प्रदर्श–8 धारा 133 एमवीएक्ट नोटिस के जवाब में विपक्षी सं.1 ने उक्त वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 का पंजीकृत स्वामी होना तथा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन मनोज वर्मा द्वारा चलाया जाना तथा प्रदर्श–9 नोटिस धारा 134 एमवीएक्ट के जवाब में विपक्षी सं.2 मनोज वर्मा ने वक्त दुर्घटना उक्त वाहन स्वंय द्वारा चलाना स्वीकार किया है। स्वंय प्रार्थी/आहत ए.डब्ल्यु–1 महेन्द्र कुमार ने साक्ष्य में दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि की है। उक्त साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–3 जो दिनांक 13.10.2018 का है, पर आरटीए दिनांक 12.10.2018 स्पष्ट रूप से अंकित है जिसमें प्रार्थी द्वारा उसके सडक दुर्घटना में लगी चोटों का केवल ईलाज करवाना, कोई पुलिस कार्यवाही व मेडिकल मुआयना नहीं करवाना अंकित किया गया है परन्तु प्रदर्श–4 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र जो दिनांक 03.11.2018 का है, में चोटों के बारे में व एक्सरे कराने की सलाह का अंकन है। प्रदर्श–12 एक्सरे रिपोर्ट जो दिनांक 03.11.2018 का है, में एक गम्भीर प्रकृति की चोट आना तथा चोटें लगभग 2–3 सप्ताह पूर्व की होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त चिकित्सीय दस्तावेज से दुर्घटना में प्रार्थी के साधारण व गम्भीर चोटें आने की पुष्टि होती है। दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 के संबंध में प्रदर्श–17 रोजनामचा रपट जो दिनांक 13.10.2018 की है, में दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 व वाहन नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि दुर्घटना स्वंय प्रार्थी/आहत की गलती से हुई

हो। बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से दुर्घटना वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 चालक विपक्षी सं.2 की तेजी व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के टेम्पू को ओवरटेक कर उसके सामने आकर पिकअप चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण घटित होना तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी के चोटें आना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

14– विपक्षी बीमा कम्पनी का यह तर्क कि रोजनामचा रपट प्रदर्श–17 में दुर्घटना पिकअप के टायर के फटने से कारित होना, प्रार्थी के बायां पैर में फेक्चर होना, दुर्घटना में पिकअप चालक की गलती नहीं होना का स्पष्ट अंकन है जिसकी पुष्टि प्रदर्श–3 चोट प्रतिवेदन से होती है, दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि दुर्घटना के सर्वप्रथम अवसर पर दर्ज करायी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1 में प्रार्थी आहत ने पिकअप चालक द्वारा उसके टेम्पो को ओवरटेक कर कट मारकर आगे आना तथा अचानक ब्रेक लगा देने से दुर्घटना घटित होना स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, पुलिस ने बाद अनुसंधान विपक्षी सं.2 पिकअप चालक के द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने व प्रार्थी के चोटें आना प्रमाणित पाते हुए आरोप–पत्र पेश किया है, प्रार्थी/आहत के चिकित्सीय दस्तावेज से बायें हाथ में फेक्चर होना प्रकट होता है। स्वंय प्रार्थी ए.डब्ल्यु–1 ने साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद की है, विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से सुदृढ साक्ष्य पेश कर उक्त साक्ष्य का खण्डन भी नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि दुर्घटना पिकअप का टायर फटने से कारित हुई। रोजनामचा रपट प्रदर्श–17 में प्रार्थी महेन्द्र मीणा द्वारा मोबाईल नं. से बताने का अंकन है, जिसके संबंध में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से दुर्घटना वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 चालक विपक्षी सं.2 की उपेक्षा व लापरवाही से होना तथा जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी के चोटें आना स्पष्ट रूप से साबित पाया गया है। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी का उक्त तर्क कि दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त किया गया है, माने जाने योग्य नहीं है।

15– जहॉ तक एफ आई आर 20 दिवस देरी से दर्ज कराए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय दस्तावेज चोट प्रतिवेदन प्रपत्र पर आरटीए दिनांक 12.10.2018 अंकित है। प्रदर्श–17 रोजनामचा रपट में दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 का स्पष्टरूप से अंकन है। प्रदर्श–1 तहरीरी रिपोर्ट में प्रार्थी ने देरी का कारण ईलाज में व्यस्त होना बताया है दौराने अनुसंधान पुलिस द्वारा वाहन चालक व वाहन स्वामी को प्रदर्श– 8 व 9 नोटिस धारा 133 व 134 एमवी एक्ट के जवाब में उन्होंने दुर्घटना से इंकार नहीं किया है, पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् विपक्षी सं.–2 के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश किया है। प्रार्थी की उपरोक्त साक्ष्य के खण्ड़न में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विलम्ब के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त रवि बनाम बद्रीनारायण एवं अन्य आरएआर पेज–81 सुप्रीम कोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि विलम्ब से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराये जाने को सन्तुष्टिपूर्वक स्पष्ट किया गया है। विलम्ब से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराये जाने से दावेदार के मामले में सन्देह नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रकाश में इस मामले विशेष में जिस आधार पर विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसका प्रकरण में पर्याप्त व समुचित स्पष्टीकरण उपलब्ध होने के कारण उक्त विलम्ब न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इस मामलें मे विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

16– जहॉ तक वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.2 वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 चालक का, विपक्षी सं. 1 वाहन स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ वाहन को चलाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रदर्श–8 व 9 नोटिस धारा 133 व 134 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाब, प्रदर्श–15 आरसी विपक्षी सं.1, आरोप पत्र, प्रदर्श–14 बीमापत्र आदि से वक्त दुर्घटना उक्त वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 का विपक्षी सं.2 वाहन चालक होकर विपक्षी सं.1 पंजीकृत स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ उक्त वाहन को चलाया जाना प्रकट होता है।

17— इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 12.10.2018 को समय करीब 2.30— 3.00 पीएम बजे ठिकरिया कट बगरू के पास पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर पर वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक विपक्षी संख्या—2 द्वारा, वाहन स्वामी विपक्षी सं.1 के नियोजन में उसके हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी के चोटें आई।

अप्रार्थी/विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा पेश उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिसमें प्रतिपादित सिद्वान्त से हम पूर्णरूप से सहमत व आबद्ध है, परन्तु हस्तगत प्रकरण प्रार्थी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामलें को पूर्णरूप से साबित किया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर सादर चस्पा नहीं होने से विपक्षी बीमा कम्पनी को उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं है।

18— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं.—1 व 2 प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णीत किए जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या— तीन</u>

19— इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी/विपक्षी सं. 3 बीमा कंपनी पर था। विवाद्यक सं.—1 व 2 के निर्णय में दुर्घटना विपक्षी सं.—2 वाहन पिकअप चालक की उपेक्षा व लापरवाही से होना साबित हुआ है।

20— विपक्षी बीमा कंपनी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वक्त दुर्ध्टना बीमित वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक विपक्षी सं.2 के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था, ना ही वाहन स्वामी के पास उक्त वाहन को चलाने के लिये वैध परमिट व फिटनेस था, इस कारण इस दुर्घटना के लिये अप्रार्थी/विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

21— जबकि वि. अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा है कि प्रदर्श—16 अनुसार वक्त दुर्घटना पिकअप चालक विपक्षी सं.2 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा वक्त दुर्घटना बीमित वाहन वैध परमिट व फिटनेस के संचालन किया जा रहा था। वक्त दुर्घटना वाहन पिकअप नं. आरजे 14

जीसी 8181 अप्रार्थी / विपक्षी सं.3 के यहॉ बीमित था, विपक्षी बीमा कम्पनी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है।

22— हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श—15 आरसी अनुसार वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 का विपक्षी सं. 1 सुनील कुमार का पंजीकृत स्वामी होना तथा प्रदर्श—14 बीमापत्र अनुसार विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित होना प्रकट होता है।

23— जहॉ तक विपक्षी बीमा कम्पनी का यह तर्क कि वक्त दुर्घटना बीमित वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रदर्श—2 आरोपत्र में अप्रार्थी / विपक्षी सं.—2 के विरूद्ध धारा 3 / 181 एमवी एक्ट के तहत बिना वैध डीएल के वाहन चलाने का आरोप है। दस्तावेज प्रदर्श—16 विपक्षी सं.2 के डीएल के संबंध में है, से भी वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.2 के पास उक्त प्रकृति का वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी डीएल होना प्रकट नहीं होता है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन चालक द्वारा उक्त बीमित वाहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंसधारक के रूप में चलाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यही उपधारणा ली जावेगी कि वक्त दुर्घटना बीमित वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 के चालक विपक्षी सं.2 के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी डी एल नहीं था तथा उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी विपक्षी सं.1 को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद उसके द्वारा अप्रार्थी / विपक्षी सं.2 वाहन चालक को अपना उक्त वाहन चलाने हेतु दिया। अतः वक्त दुर्घटना अप्रार्थीगण / विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा बीमित वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 को बिना वैद्य व प्रभावी डी एल के चलाया जा रहा था।

24— उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी / अप्रार्थी सं.3 बीमा कम्पनी इस दुर्घटना के लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होकर क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी से मुक्त किए जाने योग्य पायी जाती है।

25— विकल्प में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत

किया है कि यदि बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो भी अप्रार्थी बीमा कम्पनी को प्रथमतः प्रार्थी को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित किया जावें।

26— इस बिन्दु के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के कारण बीमा कम्पनी का प्रार्थी को क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं है और इस अधिकरण/न्यायालय को प्रथमतः प्रार्थी/याची को विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से इस प्रकार का आदेश इस अधिकरण के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त प्रार्थना को अस्वीकार किया जावें ।

27— इस बिन्दु के संबंध में इस अधिकरण के द्वारा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया।

28— बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रथमतः प्रार्थी/याची को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो नवीनतम विधि प्रतिपादित की गयी है, उसके सम्बन्ध में इस अवस्था पर विचार किया जाना सुसंगत है ।

29— माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक न्यायिक दृष्टान्त पप्पू बनाम विनोद कुमार लाम्बा जो कि 2018 (1) आर.ए.आर. 63 (एस.सी.) पर मुद्रित हुआ है, में माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद् पीठ के तीन न्यायाधिपतिगण के द्वारा जो कि दिनांकः 19.1.2018 को निर्णित किया है।

30— माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह विधि प्रतिपादित की है कि यदि बीमा कम्पनी अपनी प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने में सफल भी हो जाती है, तो भी न्यायाधिकरण/न्यायालय प्रथमतः प्रार्थी/याची को अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त अदा की गयी क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल कर

सकने का आदेश पारित कर सकती है ।

31— इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय तीन न्यायाधिपतिगण के द्वारा इस विधि को प्रतिस्थापित किया है कि यदि बीमा कम्पनी बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के तथ्य को तथा अपनी प्रतिरक्षा को प्रमाणित कर भी देती है, तो भी मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण / न्यायालयों को प्रथमतः बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की गयी उपरोक्त विधि में इस न्यायाधिकरण को प्रथमतः भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित कर सकने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त होने की विधि प्रतिपादित की गयी है, तो इस न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित की गयी विधि से इस न्यायाधिकरण को प्रथमतः प्रार्थी / याची को बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है ।

32— इसी न्यायिक दृष्टान्त पप्पू बनाम विनोद कुमार में पारित की गयी विधि पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील नम्बर 9078—9079 / 2017 रानी व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जो कि दिनांक 31.7.2018 को निर्णित किया गया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 2253 / 2018 अमृतपाल सिंह व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेस कं. व अन्य निर्णय दिनांक 17.05.2018 में वाहन का परमिट नहीं होने पर इसे बीमा अनुबंध की शर्त का उल्लघंन मानते हुए तृतीय पक्षकार को बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान करने व उसके उपरांत क्षतिपूर्ति राशि को वाहन स्वामी से वसूल कर Pay and Recovery theory को मान्य किया ।

33— इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पप्पू बनाम विनोद कुमार तथा रानी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 एवं अमृत पाल सिंह व अन्य में प्रतिपादित की गयी विधि से इस न्यायालय को प्रथमतः प्रार्थीगण को

बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने के आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है ।

34– अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित की गयी विधि के परिप्रेक्ष्य में इस याचिका के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन किये जाने पर इस याचिका के विवाद्यक सं.–3 में बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के कारण विपक्षी बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से उन्मुक्त किया गया है, तो भी प्रार्थी/याची को उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित की गयी विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रथमतः प्रार्थी को बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित है ।

35– अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का प्रथमतः विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थी को भुगतान किया जावेगा और विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त की गयी समस्त क्षतिपूर्ति की राशि विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी विपक्षी सं. 1 वाहन स्वामी से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारी होगी और इस हेतु विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी को पृथक से वाद प्रस्तुत की आवश्यकता नहीं है, वह इस अधिकरण के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिनिर्धारित/भुगतान की गयी राशि को विपक्षी सं. 1 वाहन स्वामी से वसूल कर सकने की अधिकारी होगी और उपरोक्त विवाद्यक उपरोक्त अनुरूप निर्णित किया जाता है।

:: विवाद्यक सं0–4::

36– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.3 विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के पक्ष में उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णीत किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दुर्घटना में आई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 वाहन पंजीकृत स्वामी से प्राप्त करने के अधिकारी है, क्षतिपूर्ति राशि किस किस प्रकार से किन किन मदों में दिलवाई जावे, इस सम्बन्ध में विचार किया जाना हैं।

37— बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी की चोटों, ईलाज व कार्य को देखते हुए क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाये। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रकरण में प्रार्थी/आहत ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अपंग होना साबित होता हो। प्रार्थी ने स्थायी नियोग्यता प्रमाणपत्र पेश नहीं किया, दुर्घटना में आई चोटों के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहा हो इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रार्थी ने आय व आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, प्रार्थी को कोई आय की कोई क्षति नहीं हुई है, ऐसे में प्रार्थी कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

38— इस सम्बन्ध में प्रार्थी महेन्द्र कुमार ए.डब्ल्यु—1 ने साक्ष्य में दुर्घटना में उसके बांया हाथ में फ्रेक्चर होना अभिकथित किया तथा वक्त दुर्घटना उसका जीवन संबल ट्रस्ट से 15—16 हजार रूपये मासिक वेतन प्रापत करना जो उसके खाते में आना तथा नकद मिलना जाहिर किया। गवाह जिरह में स्वीकार किया कि वह जीवन संबल चेरिटल ट्रस्ट में कार्य करने का कोई दस्तावेज लेकर नहीं आया। उसने आय के संबधं में बैक पासबुक पेश नहीं की।

39— हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श— 4 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र व प्रदर्श—12 एक्सरे रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के एक गम्भीर चोट होना प्रकट होता है। बाद दुर्घटना प्रार्थी ने अस्पताल में भर्ती रहकर उपचार कराया हो, ऑपरेशन हुआ हो इस संबंध में कोई चिकित्सीय दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी के दुर्घटना में आई चोटों के कारण स्थायी निर्योग्यता आने के संबंध में कोई स्थायी निर्योग्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी ने उपचार व्यय के संबंध में भी कोई बिल आदि पेश नहीं किये। अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट से प्रार्थी एक गम्भीर चोट कारित होना स्पष्ट होता है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के चिकित्सीय दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी चोटें कारित होने से चोटों, पौष्टिक आहार, परिवहन, मानसिक

वेदना, आय क्षति, उपचार व्यय मद में एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि 50,000/–रूपये दिलवाई जाना न्यायोचित होगा।

40– अन्य किसी मद में कोई सुदृढ साक्ष्य प्रार्थी/आहत की नहीं होने से प्रार्थी/आहत अन्य कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

क सं.	क्षतिपूर्ति राशि मद में	राशि
	चोटों, पौष्टिक आहार, परिवहन, मानसिक वेदना, आय क्षति, उपचार व्यय की समग्र मदों में	50,000/–
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**50,000/–**

41– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 4 प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1व 2 के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

<u>अनुतोष</u>

42– उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी बतौर क्षतिपूर्ति राशि 50,000/–रुपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 व2 से संयुक्तः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। शेष राशि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की तिथि 04.02.2020 से तावसूली 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष अनुतोष की हद तक प्रार्थी की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

43– उक्त विवेचन अनुसार विपक्षी/अप्रार्थी सं.3 बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के दायित्व से मुक्त किया गया है, परन्तु अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी उक्त याचिका में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 के हक में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि का याचिकाकर्ता/प्रार्थी को भुगतान करेगी उसके उपरान्त अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी, वाहन पिकअप नं. आरजे 14 जीसी 8181 के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारिणी होगी। शेष अनुतोष की हद तक प्रार्थी की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

<u>–: पंचाट :–</u>

44– परिणामतः प्रार्थी महेन्द्र कुमार मीना की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 व 2

के विरूद्व इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थी बतौर क्षतिपूर्ति राशि 50,000/–रुपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 04.02.2020 से 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थी/विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी को मुक्त किया जाता है।

45– विवाद्यक सं. 3 में किये गये विवेचन के अनुरूप विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी को मुक्त करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि उक्त याचिका में प्रार्थी/याची के पक्ष में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि का प्रथमतः विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थी/याचिकाकर्ता को भुगतान किया जावेगा तथा विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदत्त की गयी समस्त क्षतिपूर्ति की राशि विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी इस याचिका के विपक्षी सं.1 वाहन स्वामी सुनील कुमार यादव से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारी होगी और इस हेतु विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी को पृथक से वाद प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है, वह इस अधिकरण के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिनिर्धारित/भुगतान की गयी राशि को अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 से प्राप्त/वसूल कर सकने की अधिकारी होगी। पंचाट की राशि का भुगतान वसूल होने पर प्रार्थी को निम्न प्रकार से किया जावेगा :–

क.सं.	प्रार्थी	बचत खाता रूपये	मियादी खाता रूपये	अवधि
1.	महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री पुखराज मीना, उम्र–28 वर्ष,	50,000/– मय ब्याज	–	–

46– दोनों पक्ष माननीय उच्चतम् न्यायालय के विनिश्चय परमिन्दर सिंह बनाम हनी गोयल एआईआर 2025 एससी 1713 के मामलें में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है कि –

(1) आदेशित भुगतानकर्ता उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि मय ब्याज अवार्ड में वर्णित प्रार्थी के बैंक खातों में नियमानुसार जमा कराये।

(2) प्रार्थी भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने एमएसीटी बैंक खाते संबंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेजात उपलब्ध करावें–

(a) खाताधारक का नाम
(b) बैंक का नाम मय स्थान
(c) पेनकार्ड संख्या
(d) खाता संख्या
(e) IFSC Code
(f) आधार कार्ड
(g) Bank E-mail Id.

(3) यदि प्रार्थी उक्त बैंक संबंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिकरण व संबंधित भुगतानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराते है तथा संबंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है तो भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। संबंधित भुगतानकर्ता सम्पूर्ण सूचनाएँ सत्यापित कर बाद जॉच उक्त अवार्ड राशि संबंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेगें, जिसके लिए वे पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

(4) प्रार्थी एक अण्डरटेंकिग अविलम्ब इस आशय की प्रस्तुत करें कि वे अपने खाते में भुगतानकर्ता द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात् ही नियमानुसार निकासी कर सकेंगें।

(5) प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त संबंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति ई–मेल करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटेल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगें। संबंधित बैंक इस प्रकार के एमएसीटी अकाउण्ट बाबत जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालन करेगें।

(6) संबंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

(7) प्रार्थी का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(8) प्रार्थी का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।

(9) प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

(10) प्रार्थी/आहत के नाम जो एफडीआर की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

(11) यदि अप्रार्थीगण/ भुगतानकर्ता प्रार्थी को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का टीडीएस काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गये प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेगें। इसके अतिरिक्त टीडीएस कटौती की स्थिति में फार्म नं. 16 ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगें व प्रार्थी के अधिवक्ता को भी सूचित करेगें।

(मनीषा सिंह)

47– निर्णय आज दिनांक 26–05–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा सिंह)